न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 09 / 2019

ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत परमदरा तहसील डीग जिला भरतपुर जरिये व्यवस्थापक ।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 30.04.2019 वमुकदमा प्रकरण सं0 07 / 2018 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति परमदरा

निर्णय **दिनांक 08.01.2020**

अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 30.04.2019 इस आशय की प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन निर्णय नोन स्पीकिंग आदेश है । अपीलान्ट ने कारण बताओ नोटिस का जबाव बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल यह अंकित किया है कि डीलर द्वारा जबाव तथ्यात्मक नहीं है । अधीनस्थ अधिकारी ने अपीलान्ट के विरूद्ध लगाये गए आरोपों को प्रमाणित नहीं माना है । केवल गेंहूँ व कैरोसिन का दुरूपयोग बताया है जो प्रमाणित नहीं है । अपीलान्ट सार्वजनिक वैधानिक संस्था है । लाभ हानि सोसायटी की होती है व सोसायटी राज्य सरकार अधीन होती है । सोसायटी में अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का निर्वाचन होता है इसलिए मात्र टैक्नीकल आधारों पर अनुज्ञापत्र निरस्त करना पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध है । अपीलान्ट के विरूद्ध राजनैतिक दबाव में विरोधियों से साजिस कर अवैध रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । अन्त में अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.04.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा समस्त उपभोक्तओं को पोस मशीन से बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद गेंहूँ व कैरोसिन का वितरण किया गया है किन्तु एक साथ काफी संख्या में उपभोक्ता आ जाने के कारण कुछ राशन कार्डों में इन्द्राज करना रहा गया। किसी भी उपभोक्ता की राशन सामग्री का पोस मशीन से ट्रान्जेक्शन कर दुरूपयोग नहीं किया गया है । दौराने बहस अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अपीलान्ट के जबाव पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तो हैं पर दिनांक अंकित नहीं है । पोस मशीन पर अंगूठा लगवाने से वितरण होना स्पष्ट है । जिस दिन निर्णय सुनाया गया उस दिन डीलर उपस्थित नहीं था । अपीलाधीन आदेश कानूनन सही नहीं है,जो खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है ।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया है उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उसे प्रदत्त प्राधिकार पत्र की शर्तो की पालना करना उसका कर्त्तव्य है । डीलर के स्तर पर वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने बावत पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन के आधार पर वितरण की व्यवस्था की गई । डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर 09.01.2019 को उसकी जांच प्रवर्तन निरीक्षक डीग द्वारा की गई । जांच में शिकायतकर्ताओं के द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर भौतिक रूप से राशन नहीं देने सम्बन्धी अपने बयान दिए गए । प्रस्तुत राशनकार्डों के इन्द्राज व अंगूठे के आधार पर ऑन लाइन वितरण का मिलान करने पर 25 राशनकार्डों में 05 क्विण्टल 75 कि.ग्रा. गेंहूँ व 40 लीटर कैरोसिन का दुरूपयोग होना पाया गया । डीलर को प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 15 के अनुसार उसके द्वारा उपभोक्ता को दी गई सामग्री का इन्द्राज स्पष्ट मात्रा व दिनांक सहित राशन कार्ड में करना आवश्यक है । उपभोक्ताओं की शिकायत के तथ्यों की पुष्टि होने पर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसके जबाव में निजी कार्य से वक्त जांच बाहर होना ,स्टॉक मूल्य सूची का दुकान के अन्दर रखा होना व भीड़ के कारण राशन कार्डों में इन्द्राज छूट जाना बताया । जबाव के साथ 05 उपभोक्तओं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गए जिनकी सत्यता की जांच दिनांक 14.03.2019 को की गई जिसमें शपथ पत्रों को झूंठा पाया गया । इस प्रकार डीलर का असत्य तथ्य प्रस्तुत करना शिकायत के तथ्यों की पुनः पुष्टि करता है जिसके कारण कारण बताओं नोटिस के जबाव से आरोप किंचित मात्र भी खारिज नहीं होने की दशा में डीलर का प्राधिकार पत्र खारिज किया गया है जो उचित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया । । डीलर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई जांच में शिकायतकर्ताओं के द्वारा पोस मशीन पर अंगूठा लगवाकर भौतिक रूप से राशन नहीं लेना पाया गया । डीलर द्वारा राशनकार्डों के इन्द्राज व अंगूठे के आधार पर ऑन लाइन वितरण का मिलान करने

पर 25 राशनकार्डों में 05 क्विण्टल 75 कि.ग्रा. गेंहूॅ व 40 लीटर कैरोसिन का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसके अलावा डीलर ने अपने जबाव के समर्थन में 05 उपभोक्तओं के जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए वे भी जांच के दौरान झूंठे पाये गये हैं । डीलर का उक्त कृत्य उसकी बद्यान्ति को स्पष्ट जाहिर करता है। डीलर द्वारा 05 क्विण्टल 75 कि.ग्रा. गेंहूॅ व 40 लीटर कैरोसिन का दुरूपयोग किया जाना एवं नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में मनमानी तरीका से अनियमितताऐं किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है । इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 2, 5, 18, व 11 एवं 17 सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है जिसमें कोई भी त्रुटि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 08.01.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:19:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: